न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
044/2021 (GCMS 2021/44)	**12.04.2021**	**08.09.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल गुर्जर पुत्र कान्हा गुर्जर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक
मैसर्स मंगलम स्वीट्स, दुकान नं. 9 रामकुई के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ 312901
निवासी 190 सी सेक्टर नं. 5, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़

अप्रार्थी

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/475 Dated 10-08-2011** द्वारा केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर में पदस्थापित हैं। परिवादी का स्थानीय क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य का है जिसका गजट नोटिफिकेशन दिनांक अप्रैल 11, 2012 के गजट में भाग 2(क) पर प्रकाशित हुआ है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.11.2020 को समय मध्यान्ह 12:00 पीएम पर मैसर्स मंगलम स्वीट्स, दुकान नं0 9, राम कुई के पास, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ पर पहुंचे। वहां पर भंवर लाल गुर्जर पुत्र कान्हा गुर्जर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित मिलें, भंवर लाल गुर्जर को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर भंवर लाल गुर्जर ने स्वंय को मैसर्स मंगलम स्वीट्स, दुकान नं0 9, राम कुई के पास, गांधी नगर, चित्तौड़गढ़ का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वंय के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतियाँ प्रस्तुत कि जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु फ्रिज में एक प्लास्टीक थैली में रखे लगभग 5 किलोग्राम मावा के अमानक का शक होने पर 1 किलोग्राम मावा खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक भंवर लाल गुर्जर को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जाँच खरीदी, जिसकी कीमत भंवर लाल गुर्जर को 200/- रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। खरीद रसीद मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं.5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्त्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भंवर लाल गुर्जर एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक भंवर लाल गुर्जर को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मावा 1 किलोग्राम को चार साफ, सूखे एवं खाली काँच के जारो में मैश कर बराबर-बराबर डाला (प्रत्येक जार में 250 ग्राम) एवं प्रत्येक जार में फॉर्मलीन की 20 बूदें डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक जार पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक एएम-1261 दर्ज किया, प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं एएम-1261 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चारों नमूना भागों के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे भंवर लाल गुर्जर एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जो मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक उदयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एंव चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक 4861 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./349/एक्ट/2020/365 दिनांक 20. 11.2020 के अनुसार खाद्यकारोबरकर्ता के द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्याय निर्णयन आवेदन है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हैं जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन है।

उक्त प्रकरण में भंवर लाल गुर्जर ने खाद्य पदार्थ मावा सबस्टैण्डर्ड का विक्रय करके **F.S.S.A. 2006** की धारा **3(1)(zx) [Milk Fat 23.80% in place of Minimum 30.0%] Test for starch Positive in place of Negative] B.R. Reading 47.12 in place of 40.0 to 43.0 and Reichert value 5.8 in place of 28.0 Minimum]]** धारा 26(2)(ii) का उल्लघन किया है जिसके अन्तर्गत किये गये अपराध के लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत निहित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्त पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कमरा नं. बी–7, केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान, गवाह संख्या 2 शम्भुलाल पुत्र जगदीश चंद, 196 शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 3 महेन्द्र गुर्जर पुत्र उदय गुर्जर गांव यराना चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 4 डॉ0 रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़, गवाह संख्या 5 रवि सेठी, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर पेश किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
2. एरीया नोटिफिकेशन की छायाप्रति।
3. पदस्थापन आदेश छायाप्रति।
4. खरीद रसीद मूल।
5. फार्म न0 5 ए मूल।
6. फर्द रिपोर्ट मूल।
7. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
8. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की फार्म न0 6 की रसीद मूल।
9. अभिहित अधिकारी चित्तौडगढ की नमूना प्राप्ति रसीद मूल।
10. अभिहित अधिकारी, चित्तौडगढ द्वारा प्राप्त विश्लेषण सूचना पत्र मूल।
11. खाद्य विश्लेषक, उदयपुर का विश्लेषण सूचना फार्म न0 बी मूल।
12. भंवरलाल गुर्जर खाद्यकारोबारकर्त्ता एवं मालिक मैसर्स मंगलम स्वीट्स, चित्तौड़गढ़ से मौके पर प्राप्त खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वय के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियाँ।
13. अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा जारी अभियोजन संस्थित किये जाने की स्वीकृति का मूल पत्र।

उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 11.08.2021 को अप्रार्थी अधिवक्ता पार्थ जोशी हाजिर आयें। अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 08.09.2021 को हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब परिवाद पेश नहीं कर सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थीगण को सुना गया। हाजिर अधिवक्ता अप्रार्थी ने मौखिक तौर पर परिवाद को स्वीकार किया एवं निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही की गई है उसमें खाद्य पदार्थ जो जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थीगण के पूर्व में किसी भी जांच में खाद्य पदार्थ पूर्ण गुणवत्तापूर्ण पाये गये। यह प्रथम जांच हैं जिसमें अप्रार्थीगण का खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया हैं। अप्रार्थीगण छोटे व्यापारी हैं, अतः भविष्य में अप्रार्थीगण नियमानुसार कार्यवाही किये जाने बाबत वचनबद्धता प्रकट करते हैं, अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावें, इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना किये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से 3 तक से होती हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 एवं 5 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ मावा का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 6 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 13.11.2020 को मौके पर की गई। दस्तावेज क्रमांक 6 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.11.2020 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ मावा जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध हैं से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1261** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 76 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक रोशनलाल के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-1261** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 7 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 7 का अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रोशनलाल द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 14.11.2020 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(**iii**) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 10 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2020/4861 दिनांक 26.11.2020 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 349/ACT/2020/365 Dated 20-11-2020** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 349/ACT/2020/365 Dated 20-11-2020** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार :–

Report No. LS 349/ACT/2020/365 Dated 20-11-2020

Certified that I RAVI SETHI duly appointed as under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Vishal Mittal Food Safety Officer, (Central Team) Directorate, Jaipur a sample of Mawa (Khoya) bearing code no. and serial no. AM- 1261 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 14.11.2020 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No 76 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope

I found the sample to be Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.6 (2b) Mawa (Khoya) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011.The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 14.11.2020 to 20.11.2020 and the result of its analysis is given below-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The Sample packed in wide mouth glass jar.
(ii) Physical appearance:- White in color, Solid material.
(iii) Label :-- Loose Sample of Mawa. As per form no. vi

Opinion:- The sample of Khoya (Mawa) Bearing code no. and serial no. AM- 1261 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Fat %, Butyrorefractometer reading & Reichert value does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. The sample is contain extraneous matter due to added Starch. The sample is contain extraneous matters under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006. Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) of Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विशाल मित्तल द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 76 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 14.11.2020 से 20.11.2020 को जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.6 (2b) Mawa (Khoya) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. एवं Khoya (Mawa) Bearing code no. and serial no. AM- 1261 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O of District Chittorgarh Is sub-standard as Fat %, Butyrorefractometer reading & Reichert value does not meet as per the prescribed standards & Provisions as per Food Safety and Standards(food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample is sub-standard under section 3(1)(zx) of the Food Safety and Standards Act 2006. The sample is contain extraneous matter due to added Starch. The sample is contain extraneous matters under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006. Contravention to Regulation 26(2)(ii)(v) of Food Safety & Standards Act 2006**. उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-1261** मावा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 अवमानक स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट विपक्षी को पत्रांक/एफएसएसए/2020/4861 दिनांक 26.11.2020 से अप्रार्थी को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2021/919 दिनांक 01.03.2021 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 13 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को स्वीकार किया है एवं यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ अवमानक स्तर का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट है, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.
(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or

(iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or

(v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

(1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी भंवरलाल गुर्जर पुत्र कान्हा गुर्जर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक मैसर्स मंगलम स्वीट्स, दुकान नं. 9 रामकुई के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ 312901 निवासी 190 सी सेक्टर नं. 5, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभिुक्त को अधिनियम की धारा 51, 54 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 51, 54 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.
While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,
(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,
(c) The repetitive nature of the contravention,
(d) Whether the contravention is without his knowledge, and
(e) Any other relevant factor,

51. Penalty for sub-standard food.
Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is sub-standard, shall be liable to a penalty which may extend to five lakh rupees.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

54. Penalty for food containing extraneous matter.
Any person whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption ontaining extraneous matter, shall be liable to a penalty which may extend to one lakh rupees.

विपक्षी की दोष सिद्धि घोषित की गई है, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी को किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः अप्रार्थी उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त श्री भंवरलाल गुर्जर पुत्र कान्हा गुर्जर खाद्य कारोबारकर्त्ता एवं मालिक मैसर्स मंगलम स्वीट्स, दुकान नं. 9 रामकुई के पास, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ 312901 निवासी 190 सी सेक्टर नं. 5, गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ को रूपये 20000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **08.09.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official